न्यायालयः–विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–	**लोकेश कुमार शर्मा, (RJS–DJ CADRE)**
निर्णय दिनांकः–	**04.04.2026**
सेशन प्रकरण संख्याः–	**88/2018**
सी.आई.एस. नंबरः–	**89/2019**
सी.एन.आर. नंबरः–	**RJBR050001842018**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 96/2018, **पुलिस थानाः– अन्ता**, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	नरेन्द्र पुत्र मांगीलाल, उम्र–30 साल, निवासी–पलायथा, थाना–अंता, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री मनोज कुमार जैन

B

अपराध की दिनांक	20.03.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	20.03.2018
आरोप पत्र की दिनांक	21.06.2018
आरोपों की विरचना की दिनांक	05.04.2023
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	05.04.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	04.04.2026
निर्णय की दिनांक	04.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	निल

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	नरेन्द्र गुर्जर	12.04.2018	12.04.2018	506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	निल

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P.W. 01	इन्साफ अली	पंच साक्षी
P.W.02	हेमचन्द	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.03	तेजराज सिंह	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.04	अशरफ अली	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.05	गोविन्द सिंह	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी
P.W.06	उत्तम सिंह	पुलिस साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	नक्शा मौका
02	प्रदर्श पी.02/PW.02	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. हेमचन्द
03	प्रदर्श पी.03/PW.03	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. तेजराज सिंह
04	प्रदर्श पी.04/PW.04	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. अशरफ अली
05	प्रदर्श पी.05/PW.05	फर्द गिरफ्तारी
06	प्रदर्श पी.06/PW.06	असल परिवाद
07	प्रदर्श पी.07/PW.06	तहरीरी रिपोर्ट
08	प्रदर्श पी.08/PW.06	चाक एफ.आई.आर.

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.12.2017 को परिवादी मुकुटबिहारी द्वारा पुलिस अधीक्षक बारां के समक्ष एक परिवाद इस आशय का पेश किया गया कि वह ग्राम पलायथा थाना अन्ता का रहने वाला है एवं उसके पास उचित मूल्य की दुकान है। लगभग एक वर्ष पूर्व जब वह अपने घर पर बैठा हुआ था तभी पुलिस थाना अन्ता वाले एक हैड साहब व एक कानिस्टेबल आये और भंवर गुर्जर के मकान का पता उससे राशन डीलर होने के नाते पूछा तो उसने पुलिस को हाथ का इशारा करते हुए भंवर गुर्जर का मकान बता

दिया। भंवर गुर्जर को पुलिस थाना अंता इसलिए तलाश कर रही थी कि उसके खिलाफ उसके द्वारा दिया हुआ चैक अनादरित हो गया था, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना अंता में कर दी गयी थी। इसी बात को लेकर नरेन्द्र गुर्जर, किशन गुर्जर उससे रंजिश रखते थे तथा आये दिन उसको भद्दी–भद्दी गालियां देकर कहता कि मादरचोद मिन्टे तूने पुलिस वालों को उसके भाई का मकान क्यों बताया। आज से लगभग 8–10 दिन पूर्व की बात है कि नरेन्द्र गुर्जर, किशन गुर्जर दोनों ही मोटरसाईकिल पर सवार होकर उसके घर पर आये तथा उससे कहा कि मादरचोद मिन्टे बाहर निकल। जिस समय मुल्जिमान उसके साथ जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर रहे थे, उस समय वहां पर इन्साफ अली, हेमचन्द्र सिंह जो उसके घर के सामने अलाव ताप रहे थे दौड़ कर आये तथा गाली–गलौंच कर रहे मुल्जिमान को समझाया। किंतु मुल्जिमान जाते–जाते यह ऐलानिया धमकी देकर गये कि मादरचोद मिन्टे आज तो घटना तेरे घर की है, गांव की है इसलिए इन्साफ अली व हेमचन्द्र द्वारा बीच–बचाव कर लिया गया, किंतु कहीं माल, खेत या अन्य एकान्त जगह पर मिलने पर तुझे जान से मार देंगे,...........इत्यादि।

2– उक्त परिवाद धारा 154(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अन्वेषण हेतु पुलिस थाना अन्ता को भिजवाये जाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना अंता द्वारा जांच श्री उत्तम सिंह ए.एस.आई. थाना अंता के सुपुर्द की गयी। जिसने बाद जांच परिवाद, मुकदमा दर्ज करने हेतु पेश करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **96/2018 अपराध अंतर्गत धारा 451, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 21.06.2018 को अभियुक्त नरेन्द्र गुर्जर के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा **506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा **506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

5– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

(ii) आया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया?

(iii) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

7– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वयं परिवादी परीक्षित नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा घटना की कोई विशिष्ट तिथि व समय का कोई अंकन अपने परिवाद में नहीं किया है। घटना के सभी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियुक्त द्वारा परिवादी को गाली–गलौच करने अथवा जान से मारने की धमकी देने बाबत् कोई कथन अपने बयानों में नहीं किया है। परिवादी द्वारा पूर्व की रंजिश के कारण यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियुक्त द्वारा परिवादी को न तो किसी प्रकार की धमकी दी गयी है और न ही उसे जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

9– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10– प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड.01 इन्साफ अली ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है एवं कथन किया कि मुकुट और नरेन्द्र के बीच में लेन–देन के चैक को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी, इसी बात को लेकर इनके कहासुनी हुई थी। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी.01 में क्या लिखा–पढ़ी की थी, उसे पढ़ कर नहीं बताया। **उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ था।**

11– पी.ड. 02 हेमचन्द घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि आज से करीब 5–6 साल पहले शाम को 7–8 बजे करीब वह मजदूरी करके अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह नरेन्द्र और मुकुट के घर के आगे पहुंचा तो लोग इकट्ठे हो रहे थे। **कौन–कौन किससे गाली–गलौंच कर रहा था, उसे पता नहीं है।** उक्त गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी.02 का ए से बी हिस्सा गलत होना बताया है।

12– पी.ड. 03 तेजराज सिंह भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि **मुकुटबिहारी और नरेन्द्र सिंह के बीच यह घटना कितने दिन पहले हुई और कहां हुई, उसे कुछ भी नहीं पता।** विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी.03 का ए से बी हिस्सा गलत होना बताया है।

13– पी.ड. 04 अशरफ अली ने भी घटना के बारे में जानकारी नहीं होना बताया है, उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने पुलिस बयान प्रदर्श पी.04 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

14– पी.ड. 05 गोविन्द सिंह प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, जिसने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 बनाना, गवाहान के बयान लेखबद्ध करना फरियादी के जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति लेकर शामिल पत्रावली करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मौके पर घटना से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिली। यह सही है कि आसपास के व्यक्तियों से पूछताछ नहीं की। **यह सही है कि फरियादी और मुल्जिम के बीच पूर्व की रंजिश का तथ्य उसके अनुसंधान में आ गया था।**

15– पी.ड. 06 उत्तम सिंह जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार प्रकरण मुकदमा दर्ज किया गया है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि दौराने जांच फरियादी मुकुटबिहारी, गवाह इन्साफ अली व हेमचन्द सिंह के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। जांच से प्रथम दृष्टया अपराध होना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त गवाह ने असल परिवाद प्रदर्श पी.06, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.07 एवं चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.08 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **उसके अनुसंधान में आ गया था कि विवाद आपस में पूर्व के लड़ाई–झगड़े का था।** यह उसकी जांच में नहीं आया कि जिस समय की घटना बता रहे थे, उस समय पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था।

16– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>**विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–**</u>

17– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ गाली–गलौंच कर व धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस संबंध में परिवादी द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 दिनांक 29.12.2017 प्रस्तुत की गयी है, उसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने से 08–10 दिन पूर्व नरेन्द्र व किशन द्वारा उसके घर पर आकर गाली–गलौंच करना तथा यह धमकी देना बताया है कि एकांत जगह मिलने पर उसे जान से मार देंगे। दौराने विचारण परिवादी मुकुटबिहारी की मृत्यु हो जाने से वह साक्ष्य में परीक्षित नहीं हो पाया है। इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं होने से स्वयं उसके कथनों से रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 की पुष्टि नहीं हो पायी है।

18– अभियोजन की ओर से जो अन्य गवाह प्रस्तुत हुए हैं, उनमें पी.ड. 01 इन्साफ अली ने अपने बयानों में मुकुटबिहारी और नरेन्द्र के बीच में लेन–देन के चैक को लेकर रंजिश होना और इसी बात को लेकर कहासुनी होना बताया है, लेकिन इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ। इस प्रकार पी.ड. 01 इन्साफ अली के कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो रहा है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 में वर्णित अनुसार घटना कारित हुई हो और अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया हो।

19– पी.ड. 02 हेमचन्द पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि कौन–कौन, किस–किस से गाली–गलौंच कर रहा था उसे पता नहीं है। उक्त गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी.02 का ए से बी हिस्सा भी गलत होना बताया है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 03 तेजराज सिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि मुकुटबिहारी और नरेन्द्र सिंह के बीच यह घटना कितने दिन पहले हुई और कहां हुई, उसे कुछ भी नहीं पता। उक्त गवाह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है। गवाह पी.ड. 04 अशरफ अली भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने घटना के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए पुलिस बयान प्रदर्श पी.04 का ए से बी भाग गलत होना बताया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से जो अन्य गवाह पी.ड. 02 हेमचन्द, पी.ड. 03 तेजराज सिंह व पी.ड. 04 अशरफ अली परीक्षित हुए हैं, उन्होंने घटना की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है।

20– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार स्वयं परिवादी मुकुटबिहारी साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ है। अन्य गवाह पी.ड. 01 इन्साफ अली ने अपने सामने झगड़ा नहीं होना बताया है तथा पी.ड. 02 हेमचन्द, पी.ड. 03 तेजराज सिंह व पी.ड. 04 अशरफ अली पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। स्वयं अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 05 गोविन्द सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि परिवादी और मुल्जिम के बीच पूर्व की रंजिश होने का तथ्य उसके अनुसंधान में आ गया था। इस प्रकार दोनों पक्षों में रंजिश होना भी प्रकट हो रहा है। ऐसी

स्थिति में यह संदेह परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि परिवादी द्वारा बताये अनुसार घटना कारित हुई हो और अभियुक्त द्वारा परिवादी को धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया हो। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

विचारणीय बिन्दु संख्या (ii)–

21– जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा **3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया हो, किंतु इस संबंध में ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार परिवादी स्वयं साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ है। अन्य गवाहान पी.ड. 01 इन्साफ अली, पी.ड. 02 हेमचन्द, पी.ड. 03 तेजराज व पी.ड. 04 अशरफ अली के कथनों से घटना की पुष्टि नहीं हो रही है और उक्त गवाहों के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया गया हो। ऐसी स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया गया हो। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

22– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) व (ii) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्त नरेन्द्र गुर्जर को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** 1989 के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

23– अतः अभियुक्त **नरेन्द्र गुर्जर पुत्र मांगीलाल, उम्र–30 साल, निवासी–पलायथा, थाना–अंता, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** 1989 के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

24– हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः हस्तगत प्रकरण में परिवादी को धारा 357 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

25– इस प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील विधि अनुसार नष्ट किया जावें और अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार माल का निस्तारण किया जाए।

26– अभियुक्त की ओर से धारा 437 ए सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निर्णय की दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त बने रहेंगे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

27– निर्णय आज दिनांक 04.04.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)